



Rajasthan Police Infrastructure Development Corporation Limited

(Formerly Known as Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Limited)

(Government of Rajasthan Undertaking)

CIN: U45201RJ2013SGC043014

756, POLICE HEAD QUARTERS, LAL KOTHI, JAIPUR 302015 (Rajasthan)

Phone : 0141-2740784 • Email : rphccl@rajasthan.gov.in

कार्यालय आदेश / 08 / 2022

प्रायः यह देखा गया है कि निर्माण व मरम्मत कार्य करने वाले संवेदको को प्रचलित बिल या अन्तिम बिल के भुगतान एवम् उसमें से काटे गए टीडीएस/जीएसटी/एलडी/रॉयल्टी आदि-आदि का विवरण संवेदको को नहीं दिया जा रहा है। जिसके कारण संवेदको को आयकर व अन्य विभागों में वार्षिक रिटर्न प्रेषित करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निगम द्वारा वाउचर बनाने के उपरान्त पे-मेनेजर के माध्यम से संवेदको को भुगतान किया जा रहा है और यह प्रक्रिया कोई गोपनीय नहीं है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य एवम् सुशासन व पारदर्शिता को मध्यनजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि संवेदको को किए जाने वाले प्रचलित व अन्तिम बिल के भुगतान की वाउचर की प्रति उनके ईमेल या व्हाट्सअप पर भिजवाया जावे, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निगम की लेखा शाखा की होगी।

६०

ए.पौन्नूचामी, IPS

प्रबन्ध निदेशक

राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना
विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।

No.: RPIDCL/Policy Order/160/ 3080-95

Date : 30/08/2022

- I. प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ प्रेषित है :-
1. अध्यक्ष, राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।
- II. प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. महाप्रबन्धक, राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।
 2. समस्त उपमहाप्रबन्धक, राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।
 3. समस्त सहायक महाप्रबन्धक, राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।
 4. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।
 5. रक्षित पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक

राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना
विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।